



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258000
CG-DL-E-17102024-258000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 15, 2024/ आश्विन 23, 1946

No. 587]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ ASHVINA 23, 1946

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 643(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक का.आ. 787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

अधिसूचना में, क्रम संख्याक (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(i) डॉ० अंजु राठी राणा,

-- पीठासीन अधिकारी”।

अपर सचिव,

विधि कार्य विभाग,

कमरा सं० 408(ए), चौथा तल,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं0 857(अ), तारीख 16 नवंबर, 2015, सा.का.नि. सं0 498(अ), तारीख 11 मई, 2016, सा.का.नि. सं0 922(अ), तारीख 28 सितंबर, 2016, सा.का.नि. सं0 1074(अ), तारीख 17 नवंबर, 2016, सा.का.नि. सं0 391(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. सं0 51(अ), तारीख 28 जनवरी, 2019, सा.का.नि. सं0 644(अ), तारीख 17 सितंबर, 2021, सा.का.नि. सं0 199(अ), तारीख 17 मार्च, 2023 और का.आ. 743(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2024

G.S.R. 643(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Cost Accountants Act, 1959 (23 of 1959), and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 15th October, 2015, namely:-

In the said notification, for serial number (i) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(i) Dr. Anju Rathi Rana, Presiding officer;”
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Room No. 408(A), 4th Floor,
Shastri Bhawan, New Delhi

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(F. No. 3/2/2019-PI)

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 787(E), dated the 15th October, 2015 and subsequently amended *vide* G.S.R. 857(E), dated the 16th November, 2015, G.S.R. 498(E), dated the 11th May, 2016, G.S.R. 922(E), dated the 28th September, 2016, G.S.R. 1074(E), dated the 17th November, 2016, G.S.R. 391(E), dated the 19th April, 2017, G.S.R. 51(E), dated the 28th January, 2019, G.S.R. 644(E), dated the 17th September, 2021, G.S.R. 199(E), dated the 17th March, 2023 and G.S.R. 743(E), dated the 16th October, 2023.